


विलोपित

विलोपित



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2018 निगरानी  
I/निगरानी/विदिशा/भू. र/2018/2541

धीरज अरोरा पुत्र श्री सुरेश कुमार  
अरोरा , आयु 38 वर्ष, व्यवसाय -  
खेती एवं व्यापार निवासी - एस डी  
एम बंगले के पास, गंज बासौदा जिला  
विदिशा म0प्र0

श्री. कालू बी. शर्मा कागि  
अरोरा अर्ज दि. 24-4-18 को  
प्रस्तुत। प्रारंभिक सुनवाई  
दिनांक 1-5-18 निमत। (1-5-18)  
वकील ऑफ कोर्ट 4-4-18  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

..... निगरानीकर्ता

बनाम

अनिल सारास्वत पुत्र श्री हरीशंकर  
सारास्वत, निवासी वार्ड कमाक 7, गंज  
बासौदा जिला विदिशा म0प्र0

..... रेस्पोंडेंट

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959  
विरुद्ध आदेश दिनांक 16.04.2018 पारित न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी बासौदा जिला विदिशा म.प्र. के प्रकरण  
क्रमांक 16/अपील /2017-18 अनिल बनाम धीरज से व्यथित  
होकर।

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार



पुस्तक नं. :-

Noted  
1-5-18  
Noted  
01-5-18

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/2541

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p> <p style="text-align: left;">  </p>	